Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 22-08-2006

Participants : Meghwal Shri Kailash

an>

Title : Need to provide reservation to the eligible persons of SC/ST category in the appointment of Judges in Supreme Court and various High Courts.

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक) : महोदय, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को केन्द्रीय सरकार एवं राजय सरकारों के अधीन शासकीय पदों व नौकरियों तथा इनके द्वारा वित्त पोाित एवं नियंत्रित संस्थानों व उपक्रमों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया। परन्तु कई क्षेत्रों में आरक्षण के प्रावधानों को लागू नहीं किया जिनमें स र्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को भी रखा गया। उस समय सन 1950 की शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संभवतः यह सोच रहा हो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में पात्रता व योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की उपलब्धता न हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 59 र्वा का लम्बा अर्सा गुजर जाने के बाद वर्तमान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में भी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की पात्रता एवं योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त उ पलब्धता है। अतः आरक्षण के प्रावधान अविलंब लागू कर सामाजिक न्याय की ओर बढ़न का मार्ग प्रशस्त किया जाये।